राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/ 1816 दिनांकः 20/06/2024

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 11717/2023 में दिनांक 05.10.2023 को अंतरिम आदेश पारित कर पंचायती राज विभाग के तत्कालीन सरपंच श्री हेमेन्द्र जाट से संबंधित निलम्बन आदेश दिनांक 23.05.2022 को स्थगित किया गया है, जिसकी पालना में पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश दिनांक 10.11.2023 जारी कर उक्त निलम्बन आदेश दिनांक 23.05.2022 को प्रत्याहारित किया गया है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं उपधारा (8)के खण्ड (ग) के क्रम में विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.06.2021 को दृष्टिगत रखते हुए श्री हेमेन्द्र जाट को नवगठित नगरपालिका मावली (उदयपुर) के अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया जाता है।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/ 1817 - 27 दिनांकः 20/06/2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर/जिला कलक्टर उदयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
6. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
7. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मावली।
9. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
10. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी